BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

जीएसटी के आठ वर्ष

2024-25 के दौरानजीएसटी का रिकॉर्ड सकल संग्रह,सर्वेक्षण में उद्योग जगत से जुड़े85 प्रतिशतलोगों ने इस प्रणालीका समर्थन कया

June 30, 2025

मुख्य बातें

- वर्ष 2024-25 के दौरान जीएसटी का सकल संग्रह **22.08 लाखकरोड़ रुपये**तकजा पहुंचा, जो क पछले वर्ष की तुलना में 9.4 प्रतिशत अ धक है।
- डेलॉइट सर्वेक्षण में भाग लेने वाले **85 प्रतिशत** उत्तरदाताओं का जीएसटी संबंधी अनुभव सकारात्मक रहा।
- स क्रय जीएसटी करदाताओं की संख्या बढ़कर **1.51 करोड़** से अ धक हो गई।

भू मका

1 जुलाई 2025 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के आठ वर्ष पूरे हो जाएंगे। आ र्थक एकीकरण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में 2017 में शुरू कए गए, जीएसटी ने अप्रत्यक्ष करों के मकड़जाल को

Source: Ministry of Information and Broadcasting

हटाकर उसकी जगह एक एकल वएकीकृत प्रणाली को स्था पत कर दिया। इससे कर अनुपालन आसान हो गया, कारोबारियोंकी लागत कम हो गईऔर माल को व भन्न राज्यों में बिना रोक-टोक के ले जाने की अनुमति मल गई। पारद र्शता और दक्षता को बेहतर करके, जीएसटी ने एक सशक्त एवं अपेक्षाकृतअ धक एकीकृत अर्थव्यवस्था की नींव रखने में मदद की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे नए भारत का एक मार्गदर्शक कानून बताया था। आठ वर्ष बाद, आंकड़े खुद ही इसकी गवाही देरहे हैं। वर्ष 2024-25 में, जीएसटी का सकल संग्रह 22.08 लाखकरोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तरपरपहुंचगया, जो कवर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 9.4 प्रतिशत की वृद् ध को दर्शाता है। यह वृद् ध अर्थव्यवस्था के बढ़ते औपचारिकीकरण और बेहतर कर अनुपालन को दर्शाती है।

हाल ही में आई डेलॉइट की 'जीएसटी@8' शीर्षक रिपोर्ट में जीएसटी की ष्टि से पछले वर्ष को बेहद ही सफलकरार दिया गया है। इस रिपोर्ट ने इस सफलता का श्रेय मुख्य रूप से सरकार द्वारा सही समय पर कए गए सुधारों, करदाताओं को दिए गए स्पष्ट मार्गदर्शन और जीएसटी पोर्टल पर लगातार कए गए अपग्रेड को दिया। इन उपायों से न केवल व्यवसाय करने में आसानी हुई, बल्कि कर का आधार भी मजबूत हुआ।

जीएसटी की यात्रा

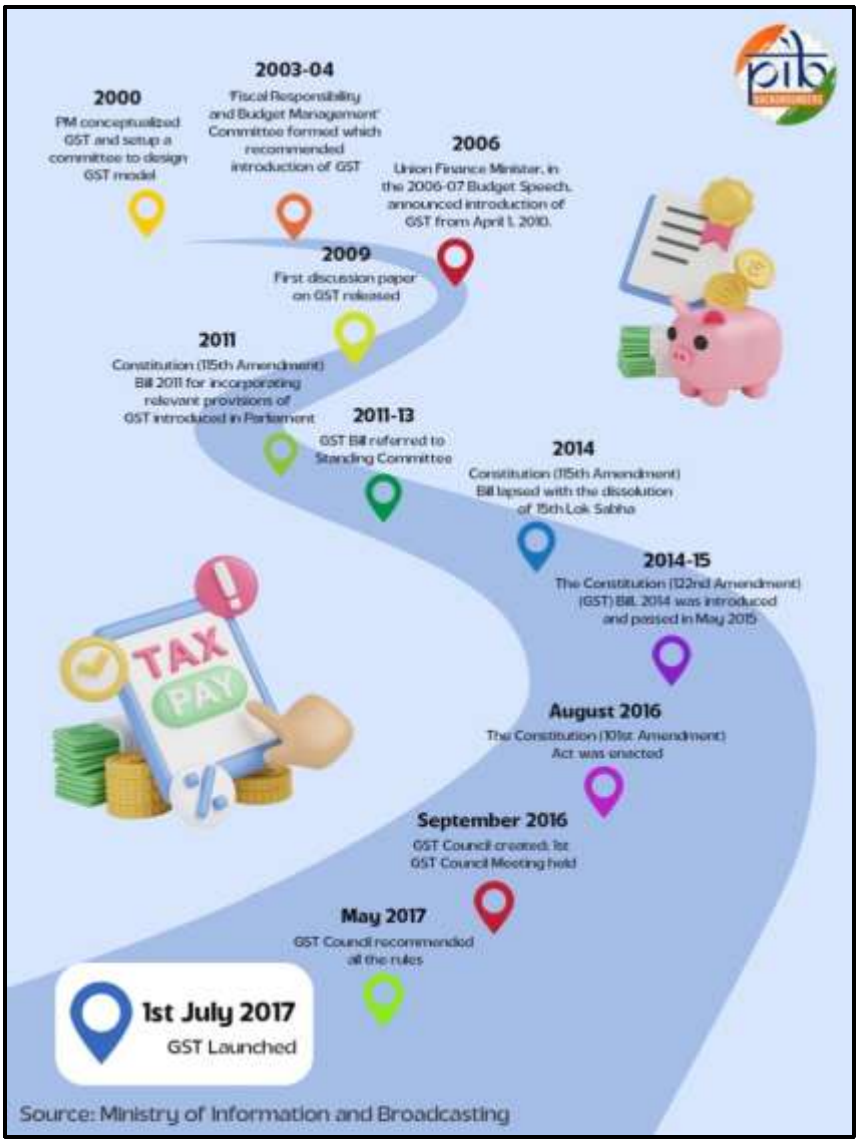

जीएसटी प्रणाली की संरचना और प्रमुख वशेषताएं

भारत में जीएसटी की दरें जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इस परिषद में केन्द्र और राज्य या केन्द्र-शा सत प्रदेश की सरकारों के प्रतिनि ध शा मल होते हैं। जीएसटी की वर्तमान संरचना में दरों के चार मुख्य स्तर (स्लैब) हैं: **5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत**। ये दरें देशभर में अ धकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होती हैं।

मुख्य स्लैब के अलावा, तीन वशेष दरें भी हैं: सोना, चांदी, हीरा और आभूषण पर 3 प्रतिशत, कटे एवं पॉ लश कए गए हीरे पर 1.5 प्रतिशत और कच्चे हीरे पर 0.25 प्रतिशत। तंबाकू के उत्पादों, वातित पेय और मोटर वाहनों जैसे चुनिंदा सामानों पर अलग-अलग दरों

पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर भी लगाया जाता है। इस उपकर का उपयोग राज्यों को जीएसटी प्रणाली को अपनाने के परिणामस्वरूप राजस्व में होने वाली कसी भी हानि की भरपाई के लए कया जाता है।

जीएसटी की मुख्य वशेषताएं हैं:

- **एक राष्ट्र, एक कर:** जीएसटी ने व भन्न अप्रत्यक्ष करों की एक वस्तृत श्रृंखला को समेटकर एक कर दिया। इसने उत्पाद शुल्क, सेवा कर औरवैट जैसे करों की जगह ले ली। इससे करों के व्यापक प्रभाव को दूर करने में मदद मली और देश भर में कर प्रणाली में एकरूपता आई।

- **दोहरी संरचना:** जीएसटी प्रणाली को दोहरे मॉडल से लैस कर डज़ाइन कया गया है। इसमें एक राज्य के भीतर होने वाले लेन-देन में केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) शा मल होते हैं। राज्यों के बीच व्यापार के लए, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) लागू होता है।

- **गंतव्य-आधारित कर:** जीएसटी मूल स्थान के बजाय उपभोग वाले बिंदु पर लगाया जाता है। यह आपूर्ति श्रृंखला में कर क्रे डट के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करता है और अंतिम उपभोक्ता पर समग्र कर का बोझ कम करता है।

- **इनपुट टैक्स क्रे डट (आईटीसी):** व्यवसाय इनपुट पर चुकाए गए करों के लए क्रे डट का दावा कर सकते हैं। इससे कर पर कर से बचावहोता है और उत्पादन एवं वतरण श्रृंखला में लागत कम होती है।

- **सीमा से छूट:** एक निश्चित सीमा से कम टर्नओवर वाले छोटे व्यवसायों को जीएसटी से छूट दी गई है। इससे अनुपालन आसान हो जाता है और सूक्ष्म उद्यमों को अत्य धक कागजी कार्रवाई से सुरक्षा मलती है।

- **कंपोजिशन स्कीम:** यह योजना उन छोटे करदाताओं के लए है जिनका टर्नओवर एक निश्चित सीमा से कम है। यह उन्हें अपने टर्नओवर पर एक निश्चित दर से जीएसटी

का भुगतान करने की अनुमति देता है। इस योजना में कम दस्तावेज और सरल रिटर्न शा मल हैं।

- **ऑनलाइन अनुपालन:** पंजीकरण, रिटर्न दा खल करने और भुगतान सहित जीएसटी की सभी प्र क्रयाएं जीएसटीएन पोर्टल के जरिए की जाती हैं। यह डजिटल ष्टिकोण दक्षता और व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाता है।

- **क्षेत्र- वशेष को छूट:** स्वास्थ्य सेवा और शक्षा जैसे क्षेत्रों को या तो छूट दी जाती है या उन पर कम दरों पर कर लगाया जाता है। इससे आवश्यक सेवाएं सभी के लए सुलभ रहती हैं।

- **खाता निपटान:** जीएसटी केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व का सुचारू बंटवारा सुनिश्चित करता है। राजकोषीय संतुलन और सहयोग बनाए रखने हेतु ऋण अंतरण निर्बाध रूप से कया जाता है।

जीएसटी के लाभ

आठ वर्ष बाद भी, जीएसटी रोज़मर्रा के कारोबार को अपेक्षाकृत अ धक आसान और उ चत बना रहा है। छोटी कंपनियों काजीना आसानबनाने में मदद करने से लेकर आम परिवारों के लए कराने का सामान सस्ता करने तक, इस सुधार ने अपनी छाप छोड़ी है। इसने राजमार्गों को भी भीड़भाड़ से मुक्त कया है और आपूर्ति श्रृंखलाओं को गति दी है। यहां जीएसटी द्वारासूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की मदद करने,उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने और देश भर में लॉजिस्टिक्स को नया आकार देने की बानगी प्रस्तुत है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई)को समर्थन

जीएसटी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बड़ी राहत दी है। इससे पहले वैट और अन्य राज्य करों के तहत सीमा बहुत कम थी, जिससे छोटे कारोबारियों के लए अनुपालन मुश्किल हो जाता था। जीएसटी ने छूट की उच्च सीमा निर्धारित करके इसे बदल दिया। शुरुआत में 20 लाख रुपयेतयकीगईसीमाकोबादमेंबढ़ाकर 40 लाखरुपये करदियागया, जिससे कई छोटे व्यापारियों और निर्माताओं को राहत मली।

बोझ को और कम करने हेतु, जीएसटी ने एक कंपोजिशन स्कीम शुरू की। इससे छोटे कारोबारियों को अपने टर्नओवर पर एक निश्चित दर से कर का भुगतान करने की अनुमति मलती है औरइसमें न्यूनतम कागजी कार्रवाई होती है। इस योजना में सालाना 1.5 करोड़ रुपये तक के सामान और 50 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाली सेवाएं शा मल हैं।

जीएसटी ने ऋण को आसानी से सुलभबनाने के उपाय भी कए हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स डस्काउंटिंग सस्टम (टीआरईडीएस) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के व्यापार प्राप्तियों के वत्तपोषण/छूट प्रदान करने का एक मंच है। इन प्लेटफार्मों पर फैक्टरिंग इकाइयों (एफयू) के वत्तपोषण से एमएसएमई की वत्त तक पहुंच बेहतर करने में मदद मलती है। सडबी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार,मई, 2024 तक देश में टीआरईडीएस का संचालन करने के लए चार डिजिटल प्लेटफॉर्म को अ धकृत कया गया है। कुल 5,000 से अ धक खरीदार और 53 से अ धक बैंक/13 एनबीएफसी वत्तपोषक के रूप में पंजीकृत हैं।

एमएसएमई के लए अन्य उल्लेखनीय पहलों में शा मल हैं:

- कुल 50 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले सेवा प्रदाताओं के लए एक कंपोजिशन स्कीम शुरू की गई है। वे 6 प्रतिशत की एक समान (फ्लैट) दर से कर का भुगतान कर सकते हैं और तिमाही कर भुगतान के साथ वा र्षक रिटर्न दा खल कर सकते हैं।
- कुल 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले छोटे करदाता अब मा सक के बजाय हर तिमाही में रिटर्न दा खल कर सकते हैं। इससे अनुपालन आसान हो गया है और उन्हें अपने कारोबार पर ज़्यादा ध्यान केन्द्रित करने में मदद मली है।
- करदाता अब एसएमएस के जरिए जीएसटीआर-3बी के लए शून्य रिटर्न दा खल कर सकते हैं। यह सेवा जीएसटीआर-1 और सीएमपी-08 के लए भी उपलब्ध है, जिससे रिटर्न दा खल करना तेज़ और सरल हो गया है।

उपभोक्ताओं को लाभ

जीएसटी उपभोक्ताओं के हित में कया गया एक सुधार है। इस कर प्रणाली के केन्द्र में अंतिम उपयोगकर्ता को रखा गया है। व वध करों को हटाने और बेहतर अनुपालन के साथ, कर की औसत दरों में कमी आई है। पंजीकृत करदाताओं की संख्या 60 लाख से बढ़कर

लगभग 1.51 करोड़ हो गई है। इससे कर के आधार का वस्तार हुआ है और सरकार को कई आवश्यक वस्तुओं पर कर की दरों को कम करने में मदद मली है।

अनाज, खाद्य तेल,चीनी,स्नैक्स और मठाई जैसी वस्तुओं पर अब कर की दरें कम हैं। वत्त मंत्रालय के एक अध्ययन में पाया गया क जीएसटी ने आम परिवारों को कुल मा सक खर्चों में कम से कम चार प्रतिशत की बचत करने में मदद की है। उपभोक्ताओं अब रोजमर्रा की ज़रूरतों पर कम खर्च करना पड़ता है।

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा

जीएसटी ने लॉजिस्टिक्स उद्योग का कायापलट कर दिया है। राज्य की सीमाओं पर ट्रकों की लंबी कतारें और भ्रष्टाचार-ग्रस्त जांच की चौ कयां (चेकपॉइंट) अब पुरानी बात हो गई है। अब माल राज्य की सीमाओं के पार तेजी से और अ धक आसानी से जाता है।

व भन्न अध्ययनों के अनुसार,परिवहन मेंलगनेवाले समय में 33 प्रतिशत से अ धक की बेहतरी हुई है। कंपनियों के ईंधन की लागत में कटौती हुई है, और प्रमुख राजमार्गों पर भीड़भाड़ कम हुई है। पहले, व भन्न कर कानूनों के कारण फर्मों को हर राज्य में अलग-अलग गोदाम बनाए रखने पड़ते थे। जीएसटी के आने से, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। इसने कारोबारियों को अ धक स्मार्ट और अपेक्षाकृत अ धक केन्द्रीकृत आपूर्ति श्रृंखला बनाने की अनुमति दी है।

जीएसटी के तहत उपलब्धियां

लागू होने के बाद से, वस्तु एवं सेवा कर ने राजस्व संग्रह और कर के आधार के वस्तार के मामले में ठोस वृद् ध दर्शायी है। इसने भारत की राजकोषीय स्थिति को लगातार मजबूत कया है और अप्रत्यक्ष कराधान को अ धक कुशल एवं पारदर्शी बनाया है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, जीएसटी ने 22.08 लाखकरोड़ रुपयेकाअबतककासबसेअ धकसकलसंग्रहदर्ज कया, जो कवर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 9.4 प्रतिशत की वृद् ध को दर्शाता है। औसत मा सक संग्रह 1.84 लाखकरोड़ रुपये कारहा।

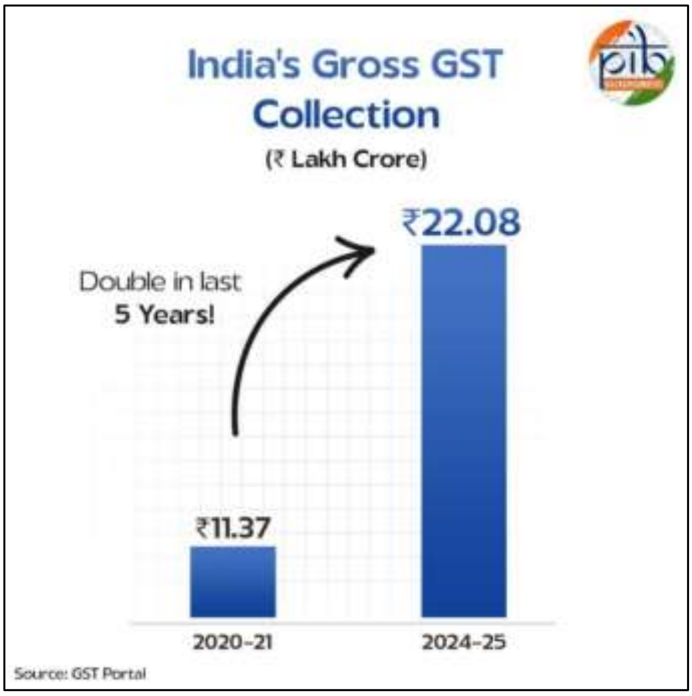

वर्ष 2020-21 के दौरान,कुल संग्रह 11.37 लाखकरोड़रुपये का था, जिसमें मा सक औसत 95,000 करोड़ रुपये का था। अगले वर्ष,यह संग्रह बढ़कर 14.83 लाखकरोड़ रुपये काहोगया, और फर 2022-23 में 18.08 लाखकरोड़रुपये का होगया।वर्ष 2023-24 के दौरान,जीएसटी संग्रह 20.18 लाखकरोड़रुपये तक जा पहुंचा, जो क अनुपालन और आ र्थक गति व ध में निरंतर वृद् ध को दर्शाता है।

स क्रय करदाताओं की संख्या में भी तेजी से वृद् ध हुई है। 30 अप्रैल 2025 तक, 1.51 करोड़ से अ धक स क्रय जीएसटी पंजीकरण हैं।

जीएसटी परिषद

जीएसटी परिषद निर्णय लेने वाली एक ऐसी प्रमुख संस्था है, जो देश में वस्तु एवं सेवा कर के क्रयान्वयन को आकार देने और उसका मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार है। संसद द्वारा 122वें सं वधान संशोधन वधेयक के पारित कए जाने और 15 से अ धक राज्यों द्वारा इसके अनुसमर्थन के बाद सं वधान के अनुच्छेद 279ए के अनुसार इसका गठन कया गया। उक्त संशोधन को 8 सतंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मली और उसके तुरंत बाद इस परिषद की औपचारिक रूप से स्थापना की गई।

जीएसटी परिषद में निम्न ल खत सदस्य शा मल होते हैं:

- केन्द्रीय वत्त मंत्री (अध्यक्ष)
- राजस्व या वत्त के प्रभारी केन्द्रीय राज्यमंत्री
- प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा ना मत वत्त या कराधान के प्रभारी मंत्रीया कोई अन्य मंत्री
- सं वधान के अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य के राज्यपाल द्वारा ना मत कोई भी व्यक्ति

अपने गठन के बाद से,इस परिषद ने 55 बैठकें की हैं और जीएसटी व्यवस्था के वकास में महत्वपूर्ण भू मका निभाई है। परिषद ने इस कर प्रणाली को सरल बनाने,अनुपालन को आसान बनाने और आ र्थक वकास को समर्थन देने के उद्देश्य से कई बड़े निर्णय लए हैं।

कुछ उल्लेखनीय निर्णय इस प्रकार हैं:

• **ई-वे बिल की शुरुआत**माल की आवाजाही पर नज़र रखने और कर चोरी को कम करने के उद्देश्य से की गई। बाद में इन्हें ई-इनवॉय संग और रिटर्न फाइ लंग प्रणाली के साथ एकीकृत कर दिया गया।
• **रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए दर में राहत**, जिसमें निर्माणाधीन कफायती आवास पर जीएसटी को 8 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करना शा मल है।
• बी2बी लेनदेन के लिए **ई-इनवॉय संग की स्वीकृति**,अब 5 करोड़ रुपये या उससे अ धक वा र्षक कारोबार वाली फर्मों के लिए अनिवार्य।

- इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करके तथा बड़ी इलेक्ट्रिक बसों पर जीएसटी में छूट देकर **हरित आवागमन को बढ़ावा**।
- मा सक भुगतान के साथ तिमाही रिटर्न दा खल करने की अनुमति देकर छोटे कारोबारियों के लए अनुपालन को आसान बनाने हेतु**क्यूआरएमपी योजना का शुभारंभ**।
- च कत्सा संबंधी सामानों की आपूर्ति और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी को तर्कसंगत बनाने सहित **को वड-19 से जुड़ी राहत के उपाय**।
- **सरलीकृत जीएसटी रिटर्न**, स्वचा लत रूप से भरे जाने वाले डेटा और आसान डजिटल भुगतान के लए स क्रय क्यूआर कोड की शुरूआत।
- **दरों को उल्लेखनीय रूप से तर्कसंगत** बनाया गया, जिससे उच्चतम कर स्लैब के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की संख्या 227 से घटकर मात्र 35 रह गई।
- **व्यापारको सु वधाजनकबनाने केउपाय**, जिसमें रिफंड के लए फार्मूला में परिवर्तन और कर भुगतान के लए अतिरिक्त तरीके शा मल हैं।
- ववादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने हेतु**जीएसटी अपीलीय न्याया धकरणों का गठन** औरनई दिल्ली में प्रधान पीठ तथा राज्य में आवश्यकतानुसार पीठें।
- **अपील के लए माफी योजना,**जिससे करदाताओं को मांग संबंधी अनुदेशों के वरुद्ध वलंबित अपील दायर करने का अवसर मलेगा।
- **बी2सी ई-इनवॉय संग का प्रयोगात्मक शुभारंभ** और आवेदकों के लए आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का चरणबद्ध क्रयान्वयन।
- **वाउचरों के लए जीएसटी के संबंध में स्पष्टीकरण**, जिसमें यह कहा गया क वे न तो वस्तु हैं और न ही सेवाएं, तथा संबं धत प्रावधानों को सरल बनाया गया।
- **जीन थेरेपी पर जीएसटी में पूरी छूट** और नई इनवॉयस प्रबंधन प्रणाली के लए कानूनी ढांचे की सफारिश।

डेलॉइट के जीएसटी@8 सर्वेक्षण से प्राप्तउद्योग जगत का ष्टिकोण

डेलॉइट की जीएसटी@8 रिपोर्ट से इस बात की बहुमूल्य जानकारी मलती है क वस्तु एवं सेवा कर के क्रयान्वयन के आठ वर्षों के बाद भारतीय कारोबार जगत इसे कस तरह देखता है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष व भन्न उद्योगों की शीर्ष हस्तियों के साथ कए गए व्यापक ऑनलाइन सर्वेक्षण पर आधारित हैं, जिनमें मुख्य कार्यकारी अ धकारी (सीईओ), मुख्य वत्तीय अ धकारी (सीएफओ), मुख्य संचालन अ धकारी (सीओओ), मुख्य सूचना अ धकारी (सीआईओ) तथा सी-सूट व सी-1 स्तर के अन्य अ धकारी शा मल हैं।

इस सर्वेक्षण में जीएसटी कार्यान्वयन और सुधार के व भन्न पहलुओं से संबं धत 34 ल क्षत प्रश्न शा मल थे। बहु चयन (मल्टीपल सेलेक्ट),एकल चयन (संगल सेलेक्ट) एवं रैं कंग से जुड़े और कुछ खुले सवालोंके मश्रण वाले इस सर्वेक्षण में आठ प्रमुख उद्योगों से 963 प्रति क्रयाएं प्राप्त हुईं। दी गई प्रति क्रयाओं (फीडबैक)में मात्रात्मक पहलुओ और गुणात्मक ष्टिकोण, दोनों का ही समावेश था। इससे जीएसटी व्यवस्था के वकास के बारे में एक व्यापक ष्टिकोण सामने आया।

प्रमुख बातें:

कुल 85 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जीएसटी को लेकर सकारात्मक अनुभव की जानकारी दी। यह लगातार चौथा वर्ष है जब यह भावना और बेहतरहुई है। कारोबारियों ने इस कर प्रणाली और इसकी दीर्घका लक स्थिरता में बढ़ते वश्वास को व्यक्त करना जारी रखा है।

उत्तरदाताओं ने अपने सकारात्मक ष्टिकोण का श्रेय कई प्रमुख सुधारों को दिया:

- सरलीकृत और अपेक्षाकृत अ धक पारदर्शी कर प्र क्रयाएं
- इनपुट टैक्स क्रे डट का निर्बाध प्रवाह, जिसने समग्र कर बोझ को कम करने में मदद की
- वरासती करों और राज्य-स्तरीय चेक पोस्टों की समाप्ति
- डजिटल प्लेटफ़ॉर्म और प्रौद्यो गकी-संचा लत अनुपालन का व्यापक उपयोग
- राज्यों में एक समान प्र क्रयाएं और तेज़ रिफंड

जीएसटी को व्यवसायकरने में आसानी,कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने और आ र्थक वकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक रूप से मान्यता दी गई। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बीच इसके बारे में सकारात्मक भावना पछले वर्ष के 78 प्रतिशत से बढ़कर इस वर्ष 82 प्रतिशत हो गई, जो छोटी फर्मों के बीच इसकी व्यापक स्वीकृति को दर्शाता है।

उद्योग-वार धारणा:

क्षेत्र/उद्योग	सकारात्मक धारणा (%)
उपभोक्ता	89%
वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी)	90%
प्रौद्यो गकी, मी डया और दूरसंचार (टीएमटी)	84%
ऊर्जा, संसाधन एवं औद्यो गक	84%
बैं कंग और वत्तीय सेवाएं	85%
सरकार एवं सार्वजनिक सेवाएं	89%
जीवन वज्ञान (लाइफ साइंसेज)एवं स्वास्थ्य सेवा	82%

निष्कर्ष

अपनी शुरुआत के आठ वर्ष बाद, वस्तु एवं सेवा कर ने खुद को देश के सबसे महत्वपूर्ण आ र्थक सुधारों में से एक के रूप में मजबूती से स्था पत कर लया है। इसने अप्रत्यक्ष करों के जटिल जाल को हटाकरइसकी जगह एक ऐसी एकीकृत प्रणाली को ला दिया है जो सरल, उ चत और अपेक्षाकृत अ धक कुशल है। जीएसटी ने एक साझा राष्ट्रीय बाजार बनाने, व्यापार करने की लागत को कम करने और कर प्रणाली में व्यापक पारद र्शता लाने में मदद की है।

राजस्व संग्रह में निरंतर वृद् ध और 1.5 करोड़ से अ धक स क्रय करदाताओं का बढ़ता आधार इसकी सफलता को दर्शाता है। कारोबार जगत, वशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों को अब अनुपालन संबंधी कम बाधाओं का सामना करना पड़ता है। डेलॉइट जीएसटी@8 सर्वेक्षण इस सकारात्मक बदलाव की पुष्टि करता है। इस सर्वेक्षण में यह पाया गया है क

उद्योग जगत से जुड़े 85 प्रतिशत उत्तरदाताओं का जीएसटी के साथ अनुभव अनुकूल था औरउन्होंनेसरलीकृत प्र क्रयाओं,बेहतर ऋण प्रवाह और मजबूत डिजटल बुनियादी ढांचे का हवाला दिया। अब जब क जीएसटी अपने नौवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, यह कर प्रणाली व्यवसाय करने में आसानी, बेहतर अनुपालन और व्यापक आ र्थक भागीदारी पर ध्यान केन्द्रित करते हुए और आगे वक सत होने की दिशा में अग्रसर है।

संदर्भ:

वत्त मंत्रालय:

- https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/approved_monthly_gst_data_for_publishing_mar_2025.pdf
- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU1081_zYDshB.pdf?source=pqals
- https://gstcouncil.gov.in/about-us
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2016802
- https://www.gst.gov.in/about/gst/council
- https://www.gst.gov.in/download/gststatistics

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय:

- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2040254

सूचना और प्रसारण मंत्रालय:

- https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/GST%20E.pdf

पीआईबी बैकग्राउंडर्स:

- https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151915&ModuleId=3
- https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=148644

डेलोइट की रिपोर्ट:

- https://www.deloitte.com/content/dam/assets-zone1/in/en/docs/services/tax/2025/in-tax-gst-at-8.pdf

- https://www.deloitte.com/in/en/services/tax/services/gst-at-8.html?id1=in:2sm:3fb:4GST@8::6tax:20250623134823::17368598300:5&utm_source=fb&utm_campaign=GST@8&utm_content=tax&utm_medium=social

एमजी /केसी /आर